अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

फार्म नं0 III

फर्द अहकाम

अज अदालत अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) मुकाम श्री गंगानगर।

जसकरणसिंह बनाम अजमेर कौर व राज्य
किस्म मुकदमा अपील नम्बर 72 सन् 2010

ता0 हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व ता0
25--10--10	अपीलार्थी के अधिवक्ता उपस्थित । अपील बाद रिपोर्ट पेश हुई। रिपोर्ट का अवलोकन किया गया । अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। रेस्पोडेन्टस व रेकार्ड को तलब करें। स्थगन प्रार्थना पत्र पर अपीलार्थी के अधिवक्ता को सुना गया । अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य तर्क है कि अपीलान्ट अपीलाधीन कृषि भूमि का खरीददार काबिज पक्षकार है। वरयाम सिंह का हिस्सा अपीलान्ट को जरिये वसीयत पंजीकृत प्राप्त हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना कोई सुनवाई किए एवं साक्ष्य का अवसर दिये क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अतः अपीलाधीन आदेश को स्थगित किया जावे। अपीलार्थी के अधिवक्ता के तर्को पर गौर किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया । अपील के निस्तारण में समय लगने की संभावना है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 11--10--10 की क्रियान्विति आगामी दिनांक 16--11--10 तक स्थगित की जाती है। पत्रावली दिनांक 16--11--10 को पेश हो।	
16--11--10	पत्रावली पेश हुई। अपील [illegible] किया। [illegible] आदेश की क्रियान्विति [illegible] बढ़ाई जाती है। रिस्पोंडेंट [illegible] तलब कर पत्रावली दिनांक 30.11.10 को पेश हो।	1634-35 16/11/10
30.11.10	[illegible] 1962 की [illegible] पेश [illegible] पत्रावली [illegible] आदेश की [illegible] 8.12.10 को पेश हो।	

22 6/16

वकील अपीलांट को एक-2 कर, बार-2 आवाजें लगाई गई, लेकिन वकील अपीलांट हाजिर नहीं हुए न ही पूर्व आदेशानुसार रेस्पो० की तलबी हेतु सम्मन तलबाना पेश किया जा रहा है। अतः अपील अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज की जाती है। आदेशिका की प्रति अधी० न्यायालय को भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

L.NO. 1550 30.06.16

अति० जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर